17

फा.सं. एन-20013/5/2014-एसओ (एनसी-I)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

कमरा सं. 267 डी, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली, 19 मई, 2014

विषय : सूचना का अधिकर अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के लिए पोस्त भूस से संबंधित निर्देश- की बावत

कृपया आप उपरोक्त विषय पर दिनांक 'शून्य' के आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें। जैसा कि आपने मांग की थी, दिनांक 1 मार्च, 2012 के आदेश सं. 616/01/2003-एनसी-1 की एक प्रति संलग्न है।

2. यदि आप उपरोक्त सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप 30 दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

श्री राजेश नन्दन श्रीवास्तव,
निदेशक (एनसी) तथा अपीलीय प्राधिकारी,
राजस्व विभाग, कमरा सं. 48 'सी'
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

संलग्नक - यथा उपरोक्त

आ/प्र

टी.के. सतपथी
(टी.के. सत्पथी)
अवर सचिव, भारत सरकार एवं सीपीआईओ
टेलीफोन नं. 23095415

सेवा में,

श्री लीलू राम
पुत्र श्री ओम प्रकाश,
मार्फत सेन्ट्रल जेल, हिसार,
हरियाणा

जारी किया संलग्न सहित
20/5/2014

फा.सं.616/01/2003-एनसी-I

18

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च, 2012

स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 74क के अंतर्गत आदेश 2

विषय : स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 74 के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्देश- अफीम पोस्त को कब्जे में रखने, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, वेयरहाऊसिंग, बिक्री, खरीद उपभोग और उपयोग के लिए लाइसेंस देना और अनुमति प्रदान करना - की बावत :

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनिम, 1985 की धारा 74क के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग के दिनांक 30 नवम्बर, 2009 के आदेश के तहत् संबंधित राज्यों में पोस्त भूस से संबंधित लाइसेंस/ अनुमति देने के मामले में राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिया है। उपरोक्त आदेश एक विशेष समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में जारी किया गया था। इस समिति में भारत के औषध महानियंत्रक, स्वापक आयुक्त, (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) दिल्ली, स्नात्कोत्तर चिकित्सीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली के चिकित्सक तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति ने सुझाव दिया कि नशेड़ियों के लिए अफीम पोस्त की व्यवस्था करना चिकित्सा की दृष्टिकोण से अनिवार्य नहीं है। समिति ने इस बात की ओर भी संकेत किया था कि पोस्त भूस के प्रयोग का जो स्तर लोगों की नजर में आया है उसे कदाचित ही अनिवार्य माना जा सकता है और ऐसा भी नही है कि इस स्तर तक पोस्त भूस उपलब्ध न हो पाने पर रोगियों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अत: यह स्पष्ट है कि नशेड़ियों को पोस्त भूस उपलब्ध कराने को ऐसा चिकित्सीय प्रयोग नहीं माना जा सकता है जैसा कि स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अंतर्गत वांछित है।

2. उपर्युक्त विशेषज्ञ सलाह को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के दिनांक 30 नवम्बर, 2009 के आदेश के पैरा 6(घ) में यह संकेत दिया गया था कि नशेड़ियों को पोस्त भूस की जो मात्रा दी जा रही है उसमें धीरे-धीरे कमी की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ समय के पश्चात ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो जिसे पोस्त भूस की लत हो।

3. दिनांक 6 फरवरी, 2012 को भारत सरकार द्वारा स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ पर एक राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की गई है। इसके पैरा 19(घ) के अनुसार, नशेड़ियों को प्रदान की जाने वाली पोस्त के भूसे की मात्रा को इस प्रकार कम किया जाना चाहिए जिससे एक निश्चित समय सीमा के पश्चात, जो कि नीति की घोषणा के पश्चात तीन वर्ष निर्धारित की गई है, अफीम भूसे की आवश्यकता

वाला कोई भी नशेड़ी न बचे। इसके पश्चात नशा मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार अफीम भूसे की अनुमति नहीं दी जाएगी और फिर इसकी खेती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।

4. ऊपर लिखित नीतिगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के दिनांक 30 नवम्बर, 2009 के आदेश को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :-

> "नशेड़ियों को प्रदान किए गए अफीम भूसे की मात्रा क्रमिक रूप से इस प्रकार कम की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 31 मार्च, 2015 के पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसे अफीम पोस्त की लत हो। इसके पश्चात नशामुक्ति के प्रयोग के लिए किसी भी अफीम भूसे की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसकी दुबारा से नोडल अधिकारी की देख-रेख में खेत में खेती की जानी चाहिए और यह अधिकारी स्वापक आयुक्त को प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें यह लिखा होगा कि अफीम भूस की पूरी मात्रा की खेती उसकी निगरानी में की गई है।"

5. निर्धारित कलेंडर वर्ष के अंतर्गत अनुप्रयुक्त अफीम भूसे का निस्तारण कर पाने में राज्य सरकार द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विभाग के दिनांक 30 नवम्बर के आदेश के द्वारा उपरोक्त आदेश के पैरा 6 (i) में आंशिक रूप से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

> "अनुप्रयुक्त रूप से बचे सभी पोस्तभूस को नष्ट कर दिया जाय और इस आशय का प्रमाणपत्र तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा स्वापक आयुक्त, 19, दि माल मोरार, ग्वालियर (म.प्र.) - 474006 (फैक्स :- 0751- 2368111) के पास आने वाले वर्ष के 30 जून तक भेज दी जाय"

(राजेश नंदन श्रीवास्तव)
निदेशक (एनसी)
फोन : 2309 2686

1. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक।
3. निदेशक, एनसीबी
4. निदेशक, डीजीआरआई
5. स्वापक आयुक्त।

संलग्नक

वित्तीय वर्ष के लिए पोस्त भूस की रिपोर्ट

सारणी 1 : पोस्त भूस की आवश्यकता

पंजीकृत नशेड़ियों की संख्या	प्रतिवर्ष, प्रति नशेड़िये (किग्रा) के लिए अपेक्षित औसत पोस्त भूस की मात्रा	वैज्ञानिक उद्देश्यों, यदि कोई हो, हेतु अपेक्षित मात्रा (किग्रा)	राज्य में अपेक्षित पोस्त भूस की कुल मात्रा (किग्रा)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)=(कxख)+ग

सारणी 2 : वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे गए तथा खरीदे गए पोस्त भूस के लिए दिये गए लाइसेंस की मात्रा

क्र.सं.	लाइसेंस धारक का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान पोस्त भूस के लिए दिए गए लाइसेंस की मात्रा (किग्रा)	टिप्पणी
	कुल		

3. वित्त वर्ष के दौरान राज्य (तालिका 2) में अफीम पोस्त को बेचने तथा खरीदने के लिए दिए गए लाइसेंस की सं. चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए कुल आवश्यकता से.....किग्रा.अधिक/ कम (जो लागू न हो उसे काट दें) है (तालिका 1)

4. पोस्त भूस के नशेड़ियों की नशामुक्ति तथा उपचार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

5. प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में चिकित्सीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए आवश्यकता से अधिक पोस्त भूस को नष्ट कर दिया गया है।

पोस्त भूस का नोडल अधिकारी
राज्य सरकार .....

स्वापक आयुक्त
19, दि माल, मोरार,
ग्वालियर